प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जसरूपचन्द पुत्र श्री मोतीलाल प्रजापत कुम्हारो का उचलावास बन्धारी का मौहल्ला मु.पो.रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		32/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00128

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

05.12.2019 अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 18.12.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

18.12.2019 अपीलांट अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। सहायक लोकसूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलक्टर)जालोर द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर)जालोर ने जवाब दिनांक 18.12.2019 में व्यक्त किया है, कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र के कम में आवेदित सूचना का शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थी/अपीलांट को पत्रांक 733 दिनांक 04.11.2019 के लिखा गया। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा स्वंय उपस्थित होकर तैयार सूचनाओ का अवलोकन करके सूचना शुल्क जरिये रसीद कमांक 0046627/21 दिनांक 18.11.2019 को जमा करवाये तथा सूचनाए प्राप्त कर प्राप्ति रसीद दी गई।रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में सूचना का अधिकार अधिनियमो की पालना की गई है।रेस्पोडेन्ट द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोताही नही बरती गई है।फलस्रूप अपील अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर जालोर द्वारा सूचना तैयार करवाई जाकर सूचना का शुल्क 20/-रूपये जमा करवाने हेतु अपीलांट को पत्र कमांक/आर.टी.आई/2019/733 दिनांक 04.11.2019 के जरिये सूचित किया जाने पर अपीलांट द्वारा रसीद कमांक 0046627/21 दिनांक 18.11.2019 के जरिये रूपये 20/- जमा करवाकर सूचना प्राप्त किया जाना पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर